20.01.23

प्रार्थी आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र वापस लेने तलब करने पत्रावली का पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी आवेदिका द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वापस अग्रीम कार्यवाही करने पत्रावली तलब करने का स्वीकार किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में कही बातों को दोहराते हुए बताया कि मौजा कुरडी पटवार हल्का मकावल तहसील रेवदर, जिला - सिरोही में खाता सं. 54 ख. सं. 131 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा व खाता सं. 53 ख. सं. 133 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा तथा ख. सं. 136 रकबा 11 बीघा 00 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त खाता सं. 54 की आराजी पक्षकारान संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है।

20/1

सहायक कलेक्टर
[illegible] रेवदर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का 1/5 तथा अप्रार्थी सं. 01 ता 05 का संयुक्त 1/5 व अप्रार्थीगण 6 व 7 का संयुक्त 2/5 हक हिस्सा तथा खाता सं. 53 की आराजी में प्रार्थी का 1/5 तथा अप्रार्थीगण 01 ता 5 का संयुक्त 1/10 व अप्रार्थीगण 6 व 7 का संयुक्त 1/10 हक हिस्सा कब्जा काश्त है तथा उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पक्षकारान के बिना संयुक्त होने से संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजी पर सभी पक्षकारान काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त पद सं. दो व तीन में वर्णित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. एक ता आठ सह खातेदारान हक हिस्से अनुसार बिना विभाजन संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार काबिज है व सभी काश्त करते है तथा खसरा सं. 136 में पक्षकारान के संयुक्त स्वामित्व का तेड खुदा हुआ है। आज से करीब 2 माह पूर्व से अप्रार्थीगण सं. एक ता आठ प्रार्थी के अपने हक हिस्से की उपजाऊ आराजी पर काश्त करने को लेकर दखलंदाजी कर रहे है तथा अप्रार्थीगण सं. एक ता आठ सभी मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से की कब्जा काश्त आराजी खसरा नं. 136 उपजाऊ व कीमती भूमि पर कब्जा करने कि फिराक में है एवं अप्रार्थीगण सं. आठ व अन्य के द्वारा मौके व उपजाऊ भूमि खसरा संख्या 136 जो संयुक्त है जिस पर बोरींग करवा कर विद्युत कनेक्शन लेना चाहते है उक्त खसरा संयुक्त आराजी का है जिसका वर्तमान में पक्षकारान के	

सहायक कलेक्टर (S. D. O.) [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	बीच मौके पर हिस्सा निर्धारित नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण सं. आठ द्वारा बिना बंटवारा उपजाऊ जमीन हड़पने कि नियत से कब्जा साबित करने उक्त संयुक्त आराजी के खसरे पर विद्युत कनेक्शन लेकर विद्युत कनेक्शन को साक्ष्य के रूप में आधार बनाना चाहते है एतराज करने पर प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करने तथा मरने मारने पर उतारू होते है उपरोक्त स्थिति के कारण प्रार्थी का अप्रार्थीगण के साथ काश्त करना प्रायः असंभव हो गया है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी का विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर होने तक अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश भी जारी करावें की वह अप्रार्थी सं. 8 व अन्य के पक्ष में विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं करने व नया कनेक्शन चालु नहीं करने तथा अप्रार्थी सं. 01 ता आठ प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं फसल को नष्ट नहीं करें प्रार्थी को संयुक्त कुए से पानी लेने से व अपने हिस्से पर काश्त करने से नहीं रोके।
	हमने अधिवक्ता ~~अधिवक्ता~~ उभय पक्ष की बहस सुनी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का भली-भांति अवलोकन व मनन किया। अध्ययन, संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर आदेश

सहायक क
(S.D.O

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दिया जाता है कि मौजा कुरडी, पटवार हल्का मकावल, तहसील - रेवदर की आराजी खसरा सं. 131 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, ख.सं. 133 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा ख. सं. 136 रकबा 11 बीघा 00 बिस्वा की आराजी का बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच होने तक अप्रार्थी सं. 01 ता 08 प्रार्थी की संयुक्त उपजाऊ आराजी पर कब्जा नहीं करें व प्रार्थी को समान उपजाऊ जमीन पर काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें और न ही अपने एजेन्ट से करावें तथा अप्रार्थी सं. 09 उपरोक्त विवादित आराजी पर बिना विधिक बंटवारा के किसी भी पक्षकार को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करें। इस आशय की ता फैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवदर	